

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0 आश्विन ०९, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 345/XXXVI(3)/2013/63(1)/2013 देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)(संशोधन) विधेयक, 2013" पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 34 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013'' (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 34 वर्ष, 2013)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 17, सन् 1976) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करने हेतु—

अधिनियम

भारतगण राज्य के 64वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

- संक्षिप्त नाम और 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (अधिकरण) प्रारम्भ (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- धारा 2 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (क-3) के उपरान्त निम्न खण्ड रख दिया जाएगा; अथार्त्— (क-3 (क)) "विधिक प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करता हो और इसमें पेंशनिक, सेवानिवृत्ति, सेवान्त या अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार धारण करने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है।
- धारा 3 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में उपधारा (8) (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात—
 - (क) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के मामलें में सड़सठ वर्ष और,
 - (ख) किसी अन्य सदस्य के मामलें में पैसट वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
- धारा 4 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात

(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले के सम्बन्ध में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "आदेश" का तात्पर्य राज्य सरकार या धारा—2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निगम या कम्पनी द्वारा या राज्य सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या निगम के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय या अधिकरण, द्वारा दिये गये किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता से है;

परन्तु यह कि किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुए किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में कोई निर्देश नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि किसी लोक सेवक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि और जहां दो या दो से अधिक विधिक प्रतिनिधि हो, सभी संयुक्त रूप से ऐसे मृत लोक सेवक के देय वेतन, भत्ता ग्रेच्यूटी, भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवा सम्बन्धी आर्थिक लाभों हेतु अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकें।

> आज्ञा से, के0डी0 भट्ट प्रमुख सचिव।

No. 345/XXXVI(3)/2013/63(1)/2013 Dated Dehradun, October 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Public Service (Tribunal) (Amendment) Act, 2013' (Adhiniyam Sankhya 34 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 September, 2013.

Uttarakhand Public Service (Tribunal) (Amendment) Act, 2013

(Uttarakhand Act No. 34 of 2013)

An Act

To amend the Uttar Pradesh Public Service (Tribunal) Act, 1976 (Act No. 1976) (as applicable to the State of Uttarakhand to the context of the State of Uttarakhand-

IT IS HEREBY enacted in 64th Year of Republic of India by the Uttarakhand Legislative Assembly as follows:-

- Short title and 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Public Service commencement (Tribunal) (Amendment) Act, 2013.
 - (2) It shall come in to force atonce.
- Amendment of 2. Section 2 of the Uttar Pradesh Public Service (Tribunal)

 Act, 1976 (as applicable to the State of Uttarakhand)

 hereinafter referred to as the principal Act after clause (a
 3) the following clause shall be inserted, namely:
 (a-3(A)) "Legal representative" means a person, who in

 law represents the estate of the deceased person and

 includes a person in whom the right to receive pensionary,

 retirement, terminal or other benefits vests.
- Amendment of 3. In section 3 of the principal Act for sub section (8) (a) and Section 3

 (b) the following sub section shall be substituted, namely:
 No Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office as such after he has attained-
 - (a) In case of Chairman or Vice-Chairman, the age of Sixty-Seven years, and
 - (b) In the case of any other member the age of Sixty-five years

Amendment of 4. Section 4

- In section 4 of the principal Act for sub section (1) the following sub section shall be substituted, namely:-
- (1) "Subject to the other provisions of this Act, a person who is or has been a public servant and is aggrieved by an order pertaining to a service matter within the jurisdiction of the Tribunal, may make a reference of claim to the Tribunal for the redressal of his grievance.

Explanation: For the purpose of this sub-section "order" means an order or omission or in-action of the State Government or a local authority or any other Corporation or company referred to in clause (b) of section 2 or of an officer, committee or other body or agency of the State Government or such local authority or Corporation or company:

Provided that no reference shall, subject to the terms of any contract, be made in respect of a claim arising out of the transfer of a public servant:

Provided further that in the case of the death of a public servant, his legal representative and where there are two or more such representative, all of them jointly, may make a reference to the 'Tribunal for payment of salary, allowances, gratuity, provident fund, pension and other pecuniary benefits relating to service due to such public servant."

By Order,

K. D. BHATT, Principal Secretary.